भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 763
दिनांक 25.07.2023/ 03 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

'बिपर्जोय' चक्रवात से हुई हानि

†763. श्री सी.एन.अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्री रवनीत सिंहः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री धनुष एम. कुमारः
डॉ. सुभाषरामराव भामरेः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री नितेश गंगा देवः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः
श्रीमती क्कीन ओझाः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चक्रवात 'बिपजॉय' ने देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तथा असम को प्रभावित किया है;
(ख) यदि हाँ, तो कृषि फसलों, पशुधन व अवसंरचना को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है और उक्त चक्रवात में मारे गए / विस्थापित / घायल हुए व्यक्तियों की असम सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने 'बिपर्जोय' चक्रवात के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों के लिए किसी राहत /पैकिज / सहायता की घोषणा की है और उसकी किसानों को मुआवजा देने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केंद्रीय दल ने चक्रवात से हुई क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित राज्यों का दौरा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न तटीय भागों में कितने चक्रवात आए हैं; और
(छ) निकट भविष्य में चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि को कम से कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): चक्रवात 'बिपर्जोय' ने 15 जून, 2023 को जखाऊ बंदरगाह के निकट मांडवी (गुजरात) और कराची (पाकिस्तान) के बीच उत्तरी गुजरात को पार किया और यह 17 जून, 2023 की शाम को राजस्थान के ऊपर आते समय कमजोर पड़ गया।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 763, दिनांक 25.07.2023

प्रभावित राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापन/ स्थिति संबंधी रिपोर्टों के अनुसार, सूचित क्षति/ नुकसान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(अनंतिम)

राज्य	मानव जीवन की क्षति	क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां	पशुधन की हानि	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)
गुजरात	--	10458	3266	1.33
राजस्थान	07	6492	878	--

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने सहित, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार स्वयं के नियंत्रण में पहले से ही रखी गई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है।

चक्रवात 'बिपर्जोय' के बाद गुजरात और राजस्थान की राज्य सरकारों के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल राहत ऑपरेशनों हेतु एसडीआरएफ से गुजरात को 1140 करोड़ रुपये और राजस्थान को 653.60 करोड़ रुपये की सहायता जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य के महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में चक्रवात सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु 01 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार गुजरात सरकार के एसडीआरएफ खाते में 1159.60 करोड़ रुपये की राशि और राजस्थान सरकार के एसडीआरएफ खाते में 3181.22 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। अभी तक, किसी भी अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित राज्य का दौरा नहीं किया है।

(च): भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न तटीय भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	चक्रवात का नाम	वर्ष	चक्रवात का नाम
2018	दाये	2020	अम्फन
	तितली		निसर्ग
	गाजा		निवार
	पेथाई		बुरेवी
2019	पाबुक	2021	तौकते
	फनी		यास
	बुलबुल		गुलाब
		2022	असनी
			मनदौस

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 763, दिनांक 25.07.2023

(छ): मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) चक्रवात सहित बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित हुए राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयोंएजेंसियों के साथ स्थिति की / निगरानी एवं समन्वय करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) भी प्रभावित / प्रभावित होने की संभावना वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित और सटीक भविष्यवाणियां तथा चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु उपयुक्त तैयारी करने और शीघ्र कार्रवाई के उपाय करने के लिए देश में राष्टीय, राज्यीय और जिला स्तर पर सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने एक सशक्त अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करने/प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों की जानकारी देने की सटीकता में काफी सुधार किया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित तौर पर मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन संबंधी पद्धतियों, तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्रों में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरुप देश में चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना शासन की एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है।

*****